राजस्थान – सरकार

शिक्षा – विभाग

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ1(37)स्था/निकाशि/2012/पार्ट/1232 दिनॉकः 08 फरवरी, 2013

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः अधिशेष व्याख्याताओं के वेतन आहरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न महाविद्यालयों में अधिशेष व्याख्याताओं के वेतन आहरण के सम्बन्ध में निदेशालय को प्रकरण भिजवाये जाते है एवं मार्ग दर्शन मांगा जाता है।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अधिशेष व्याख्याता का वेतन जिस महाविद्यालय मे वह पदस्थापित है उसी महाविद्यालय में समान विषय के रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी अन्य विषय के रिक्त व्याख्याता पद के प्रतिकूल आहरित किया जा सकता है। परन्तु ऐसा करने पर महाविद्यालय मे कुल स्वीकृत पद से अधिक का वेतन आहरण किसी भी परिस्थिति मे नही किया जाए एवं बजट मद में परिवर्तन ना हो। यदि महाविद्यालय मे कुल स्वीकृत पदो से अधिक व्याख्याता कार्यरत है तो ऐसी स्थिति मे अधिशेष व्याख्याता के वेतन आहरण का प्रकरण ही निदेशालय को भिजवाया जाये।

(नवीन जैन)
निदेशक